

बिजली से जुड़ी हर मुश्किल, अब होगी हल

अपने अधिकारों को जानें, जागरूक उपभोक्ता बनें

बिजली उपभोक्ताओं की निम्नलिखित शिकायतों [अनाधिकृत उपयोग (धारा 126 विद्युत अधिनियम, 2003) तथा विद्युत चोरी (धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003) को छोड़कर] के निवारण की व्यवस्था हेतु 'विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम' का गठन किया गया है—

- अधिक/गलत बिलिंग
- विद्युत प्रदाय में व्यवधान/रूकावट
- बोल्टेज संबंधी शिकायतें
- अधिसूचित विद्युत कटौती
- मीटर संबंधी शिकायतें
- विद्युत प्रदाय का संयोजन (कनेक्शन), विच्छेदन तथा पुनर्संयोजन
- नये कनेक्शन देने में देरी
- विद्युत दर (टैरिफ) का गलत प्रयोग
- अन्य शिकायतें, जैसे कि उपभोक्ता के उपकरण/नेटवर्क/परिसर को नुकसान अथवा भार/मांग में कमी/वृद्धि किये जाने संबंधी अनुरोध का पालन न किया जाना। सुरक्षा निधि (Security Deposit) के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना अथवा अनुपालन मानदण्डों (Standards of performance) को मानकों के अनुरूप लागू नहीं किया जाना।

आयोग ने अनुपालन मानदण्डों का निर्धारण किया है, जिसके तहत विद्युत कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की समय-सीमा तथा सेवा में विलंब होने पर कंपनी द्वारा उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की है।

उपरोक्त सभी प्रकार की शिकायतों का निवारण सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्डों द्वारा न किये जाने पर अपने क्षेत्र के निम्नलिखित "विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम" में व्यक्तिगत रूप से, पत्र द्वारा अथवा अन्य किसी के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

- (i) आगरा—फोन 0562-2581069,
- (ii) अलीगढ़—मो 9412585948 / 9760291128,
- (iii) कानपुर—मो 9410827602, 9415909012
- (iv) झांसी—फोन न०, उपलब्ध नहीं है।
- (v) चित्रकूट— मो 9412876059

उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरमों के निर्णय से असंतुष्ट होने पर अथवा तीन माह में फोरमों द्वारा परिवाद का निस्तारण न करने पर एक माह के भीतर अपनी अपील/प्रतिवेदन विद्युत लोकपाल के यहाँ निम्न पते पर निःशुल्क कर सकते हैं—

विद्युत लोकपाल

तृतीय तल, नेडा भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

फोन न०-0522-2720856, फैक्स-0522-2720857 ई-मेल- eo@uperc.org

इसके अलावा अधिक जानकारी के लिये विद्युत नियामक आयोग/विद्युत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक/विद्युत लोकपाल से सम्पर्क कर सकते हैं।

“राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाये”